मध्य प्रदेश शासन

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति

सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स,भोपाल-462002

दूरभाष एवं फैक्स: 0755-2660461 **email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org**

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2026/ 1483 दिनांक- 09.06.2026

## सूचना

**(सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क विनियमन हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में)**

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, म.प्र. की निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं से उनके द्वारा संचालित किये जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क निर्धारण हेतु दिनांक 20.04.2026 तक ऑनलाईन माध्यम से आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव में आडिटेड आय-व्यय पत्रक एवं बैलेंस शीट यूडिन आई.डी. सहित एवं इसके अतिरिक्त टीचिंग स्टाफ/नॉन टीचिंग स्टाफ की आवश्यक जानकारी पोर्टल में उपलब्ध कराये गये सभी फार्म में प्रविष्टियों की जानकारी ठीक स्वरूप से प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 08.05.2026 की प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार **उच्च शिक्षा विभाग** के अंतर्गत संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम शुल्क के प्रावधिक (**Provisional**) आदेश जारी किये गये हैं।

अत: संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु **दिनांक 09.06.2026 से 25.06.2026 तक पुन: खोला जा रहा है।** संस्थायें दिये गये निर्देशानुसार शुल्क विनियमन कराये जाने हेतु जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराते हुए पोर्टल को अंतिम रूप से **Declare** करना सुनिश्चित करें। किसी भी संस्था के शुल्क का विनियमन प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संस्था उपरोक्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करायेगा।

संस्थाओं द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त जानकारियॉ पोर्टल पर अपलोड कर **Declare** न करने की स्थिति में सत्र 2026-27 के प्रावधिक (**Provisional**) आदेश का निरंतरता और वर्तमान ब्लॉक की 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा नहीं किया जायेगा। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाएं जो उपरोक्तानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं कराती हैं उन संस्थाओं की सूची संबंधित अखिल भारतीय निकाय **NCTE, BCI** एवं संबंधित विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

**(प्रो. अनिल शिवानी)**

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी